संख्या-25/2025/848/ छिहत्तर-1-2025-1882035

प्रेषक,

डा0 अम्वरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 मार्च,2025

विषयः जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्वन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4793/डब्लू-409 (यू.सी.)/2024-25(Fin-3), दिनांक 17 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में ग्रामों की अंतःग्राम अवसंरचनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान हेतु रूपये 800.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलव्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में ग्रामों की अंतःग्राम अवसंरचनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत रू 800.00 लाख (रूपये आठ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) बचत के मद में पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी। प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण वजट की उपलव्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का पाधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(4) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2024/ बी- 1-294/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष- 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01 जलपूर्ति- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -03-जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- संदर्भित मामले में पुनर्विनियोग की गई धनराशि विषयक वी.एम.-9 विषयक प्रपत्र संक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त संलग्न है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आर.ई. संख्या-वजट-1-936 दिनांक 30.03.2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 30-03-2025 21:06:42
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2025/848 (1)/छिहत्तर-1-2025-1882035 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 30-03-2025 21:07:51
(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।

प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-81-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

वित्तीय वर्ष 2024-25 अनुदान संख्या- 81

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनयोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्षक -4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-जल जीवन मिशन(के.50/रा.50-के.)-24- वृहद निर्माण कार्य	17012.36	17012.36	800.00	800.00	16212.36
योग	17012.36	17012.36	800.00	800.00	16212.36

अनुदान संख्या-81 निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावितधनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01 जलपूर्ति- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -03-जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान-42 अन्य व्यय	00	800.00	800.00	800.00	800.00
योग	00	800.00	800.00	800.00	800.00

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण- योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय का कारण यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में उक्त हेतु अपेक्षित बजटीय प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई. संख्या-बजट-1- दिनांक मार्च, 2025

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 इलाहाबाद।

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 18-03-2025 12:58:32

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

(मंजीत सिंह)

अनु सचिव,

संख्याः /छिहत्तर-1-2025, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, प्रयागराज, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित (आय-व्ययक) अनु0-2।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।